न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 06/2026
जी.सी.एम.एस नं. : 2026/7

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– श्री भरत राठौड पुत्र श्री दशरथ लाल निवासी नेहरु मार्ग, कुशलगढ, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स माँ नव शक्ति मार्ट, बांसवाडा रोड, मगरी माता रोड, कुशलगढ, बांसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 17–02–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री उम्मेद मल टेलर** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **16–01–2026** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **15–05–2025** को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **04.05 पी.एम.** बजे **मैसर्स माँ नव शक्ति मार्ट, बांसवाडा रोड, मगरी माता रोड, कुशलगढ, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री भरत राठौड पुत्र श्री दशरथ लाल** उपस्थित थे। **मैसर्स माँ नव शक्ति मार्ट, बांसवाडा रोड, मगरी माता रोड, कुशलगढ** का निरीक्षण करने पर दुकान में **Pure Cow Ghee (Avik) 1 लीटर के 5 डिब्बे** रखे थे। जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर **Pure Cow Ghee (Avik)** जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **Pure Cow Ghee (Avik) 1 लीटर के 4 डिब्बे वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर** इनकी कीमत 2000/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **Pure Cow Ghee (Avik) 1 लीटर के 4 डिब्बे के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये केवल जिला ... एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-2145** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपका कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के **पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/379 दिनांक 11–07–2025** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट **क्रमांक 691 दिनांक 28–05–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Pure Cow Ghee (Avik)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2145** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। **उक्त नमूने की पुनः जाँच हेतु विक्रेता द्वारा एफएसएसए की धारा 46 की उपधारा (4) के तहत पुनः जाँच हेतु निर्धारित समयावधि में अपील की गई। जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जाँच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट सं. 1796F/ FSSA/ 2025 दिनांक 04.12.2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard होना पाया गया।** विक्रेता द्वारा **Pure Cow Ghee (Avik)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–01–2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 17.02.2026 को [illegible] में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित आरोपो को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माने को कम किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के **पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/379 दिनांक 11–07–2025** एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट **क्रमांक 691 दिनांक 28–05–2025** अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **Pure Cow Ghee (Avik)** का नमुना कोड क्रमांक **W-2145** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। **खाद्य कारोबारकर्ता की अपील पर नमूने की पुनः जाँच हेतु रैफरल फुड लेब मैसुर भिजवाया गया। आरएफएल मैसूर की जाँच रिपोर्ट सं. 1796F/ FSSA/ 2025 दिनांक 04.12. 2025 के तहत यह नमूना एफएसएसए की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard होना पाया गया है।** प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard पाया गया **Pure Cow Ghee (Avik)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री भरत राठौड पुत्र श्री दशरथ लाल निवासी नेहरु मार्ग, कुशलगढ, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स माँ नव शक्ति मार्ट, बांसवाडा रोड, मगरी माता रोड, कुशलगढ, बांसवाडा को 50,000/– (अक्षरे रू पचास हजार मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 17–02–2026 खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)